प्रेस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12th अगस्त 2026

भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक की अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक की अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का प्रतिवेदन (2026 का प्रतिवेदन संख्या 24) आज संसद के पटल पर रख दिया गया है। आईआईएम, रोहतक की अनुपालन लेखापरीक्षा संस्थान के वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और समग्र शासन प्रथाओं का आकलन करने के लिए और जांचने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और निर्धारित नियमों तथा मानदंडों के अनुसार किया गया है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- **शासन एवं नियामक ढांचा**

- शासी मण्डल का गठन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसमें प्रतिष्ठित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की नियुक्ति में विलंब सम्मिलित है।
- संस्थान ने मंत्रालय द्वारा समीक्षित विनियमों में 28 अनधिकृत संशोधन किए।
- निदेशक को परिवर्तनीय वेतन की स्वीकृति पारदर्शिता और वैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके दी गई।
- शैक्षणिक परिषद का गठन निर्धारित बाहरी विशेषज्ञों के बिना और नामित संकाय के लिए दो वर्ष के कार्यकाल के बिना किया गया था, जिससे हितों के टकराव की स्थिति बनी।
- संस्थान बजट, विकास योजना, रणनीतिक योजना और त्रिवार्षिक निष्पादन समीक्षा तैयार करने में विफल रहा।

- **वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन**

- कॉर्पस फंड को ₹ 267.45 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था क्योंकि पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित निधि से राशियां अंतरित नहीं की गई थी।

- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, अप्रयुक्त सरकारी अनुदानों पर अर्जित ₹ 4.81 करोड़ का ब्याज भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया गया था।
- उपदान और अवकाश नकदीकरण देनदारियों का वास्तविक मूल्यांकन लेखांकन मानक-15 के अनुसार नहीं किया गया था।
- आईआईएम, रोहतक ने ₹ 217.91 करोड़ का अधिशेष अर्जित किया और छः वर्षों में छात्रों की वार्षिक फीस में वृद्धि की जबकि कोई वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था।

➢ **अधिप्राप्ति एवं अनुबंध प्रबंधन**

- एयर-कंडीशनर की अधिप्राप्ति के अनुबंध एक अनर्ह बोलीकर्ता को दिए गए, जो निविदा की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता था।
- ब्याज-मुक्त कार्य आरंभ अग्रिम देने के कारण एक संविदाकर्ता को ₹ 3.83 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।
- पुरानी मजदूरी दरों को स्वीकार करने और भविष्य निधि में कोई अंशदान न देने के कारण वैधानिक मजदूरी नियमों का उल्लंघन हुआ।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर विक्रेताओं की अधिक उपलब्धता होने के बावजूद आईआईएम, रोहतक ने अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के बिना ₹ 12.45 करोड़ मूल्य की 370 खरीद प्रक्रियाओं में जेम पोर्टल को अनदेखा किया।

➢ **स्थापना एवं मानव संसाधन प्रबंधन**

- 10 व्यक्तियों को पूर्ण भर्ती अभिलेखों के बिना ₹ 88.64 लाख के वेतन का भुगतान किया गया।
- निर्धारित सीमाओं के बिना ₹ 7.49 करोड़ की राशि के मानदेय और प्रोत्साहनों का भुगतान किया गया, जिसमें कई मामलों में यह भुगतान वेतन के 100 प्रतिशत से अधिक था और मानदेय के रूप में उच्च मूल्य की मदें वितरित की गई।